भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2304

10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लीथियम बैटरी

2304. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए लीथियम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण है;

(ख) देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित एसीसी पर देश की निर्भरता को इसके माध्यम से कैसे कम किया जाएगा;

(ग) योजना के विशिष्ट प्रावधानों और वित्तीय परिव्यय तथा लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में फेम इंडिया योजना (चरण-।।) का ब्यौरा और भूमिका क्या है और यह किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है; और

(ङ) क्या ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लक्ष्यों को पूरा कर रही है और घरेलू ईवी उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या प्रभाव अपेक्षित है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्यमंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): खान मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, उन्होंने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (एनएएलसीओ), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) के इक्विटी अंशदान से एक संयुक्त उद्यम कंपनी खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) की स्थापना की है। इसका व्यापक मिशन विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान और उनका अधिग्रहण करना है जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व रखते हों जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और अन्य खनिजों को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा। केएबीआईएल ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में राजकीय स्वामित्व वाले उद्यम सीएएमवाईईएन के साथ उत्खनन और खनन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केएबीआईएल महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल ऑफिस के साथ लगातार संपर्क में है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी), बैटरी भंडारण के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण (पीएलआई एसीसी स्कीम) कार्यक्रम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर भारत की आयातित एसीसी पर निर्भरता को कम करना है और इसमें भारत में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़ी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए 50 गीगावॉट घंटे की संचयी क्षमता हेतु स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में लाभार्थी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रति किलोवॉट घंटे की उद्धृत सब्सिडी और विनिर्माताओं के लिए वास्तविक बिक्रियों पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है। लाभार्थी प्रतिष्ठानों को नियत तिथि यानी माइलस्टोन-1 से 2 साल के भीतर (मूल इकाई स्तर पर) कम से कम 25% का मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा और नियत तिथि यानी माइलस्टोन-2 से 5 वर्ष के भीतर इसे 60% तक मूल्यवर्धित करना होगा। आबंटित निधियों का निष्पादन और प्रोत्साहन संवितरण लाभग्राही फर्मों द्वारा माइलस्टोन-1 लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है।

(घ): फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम, चरण- II (फेम II) को कुल 11,500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबली/सब-असेंबली और पुर्जों/उप-पुर्जों के घरेलू विनिर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि होगी। स्कीम का ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/fame-ii पर है।

(ङ): सरकार ने भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 15 सितंबर 2021 को मंजूरी दी ताकि 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। इस स्कीम में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। स्कीम का ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry पर है।

*****